



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION



ए0पी0ओ0 सिद्धार्थ
श्रीवास्तव



पैरोकार का0 जगराम यादव

#AMETHIPOLICE

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 11.06.2018 समय 08.40 बजे को अभियुक्त के कब्जे से 525 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होने पर थाना पीपरपुर में मु0अ0सं0 218/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मानीट्रिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 11.09.2023 को माननीय न्यायालय एसीजे-38 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को **जेल में बितायी गयी अवधि व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

सजा का विवरण:-

- अभियुक्त को **जेल में बितायी गयी अवधि**।
- 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड ना अदा करने पर 03 दिन का साधारण कारावास।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता: -

- शिवशंकर विश्वकर्मा पुत्र शिवराम विश्वकर्मा निवासी ग्राम टीकरमाफी थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

उक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “**ऑपरेशन कन्विक्शन**” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाये जाने हेतु जनपद अमेठी के महत्वपूर्ण 20 अभियोगों में चिन्हित किये गये थे।